अपलोड अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— 1006/ 1सी0 वन दिनांक 19/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः— **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/31821/2018 जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः— आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 28.1.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार ऑख्या निम्नवत है:—

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1	KML file of CA area is uploaded at para C (ii) b in place of proposed road.	online para 1 of part-1 में Short narrative मोटर मार्ग की KML file पार्ट—। के बिन्दु C में अपलोड कर दिया गया है।
2	Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.	Justification for locating the project in forest land का प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ द्वारा सत्यापित करवाकर part-1 के para D में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1— Justification for locating the project in forest land. (पेंज नं0 1)
3	Employment detail seems incorrect.	section E in Form A, part I में Employment generation details संशोधित कर आनलाइन अंकित कर दिया गया है।
4	Bar chart seems incorrect.	Bar chart पार्ट—। के addl. document में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2— बार चार्ट । (पेज नं0 2)
5	Plantation Scheme of 330 Plants is required to be submitted.	Plantation Scheme of 330 Plants निर्धारित कॉलम में आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
6	Area Falls in RF but working plan details is not mentioned in Part II.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
7	Authority letter is not submitted in hard copy.	Authority letter की छायाप्रति सत्यापित कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न 3— Authority letter (पेंज नं0 3— 5)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः— **उपरोक्तानुसार**

भवदीय
19/07/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

19.7.2019

पत्रांक— /1सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता (।।।) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम– जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.050 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 0.400 हे0 आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से प्रारम्भ होकर सेंज ग्राम तक जाता हैं। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। मोटर मार्ग हेतु तकनीकी दृष्टि से भी आरक्षित वन भूमि पर ही मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव है। वन भूमि के अलावा अन्य किसी प्रकार की भूमि से मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से होकर सेंज गॉव तक 1.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति हैं तथा भूगर्भवेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में कोई भी हेयरपिन बैण्ड नहीं पड़ता हैं तथा 61 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग सोनला कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से होकर सेंज गॉव तक 1.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रीय जनता भी सहमत नहीं हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड की सं0 2 है तथा 80 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(26)

बार - चार्ट

कार्य का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंजी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 है० आरक्षित वन भूमि तथा मक डेम्पिंग हेतु 0.050 है० कुल 0.400 है० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

स्केल - 1 से०मी० = 100 मी०
उर्ध्वाधर 1 से०मी० = 7 मी०

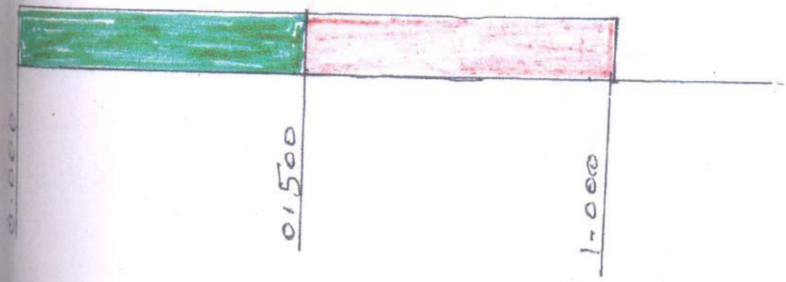

M.D. Singh
अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०
गौचर

AE

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

कार्यालय जिला अधिकारी, चमोली

/ जि0यो0-3/2011-12 दिनांक : गोपेश्वर 06-09-/2011

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
सातवा वृत्त, लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली के लिये जिला योजना वर्ष 2011-12 के लिये जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मार्ग/सेतु कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1905/111(2)/11-05/बजट/2011 दिनांक 18.04.2011 द्वारा जनपद चमोली की जिला योजना वर्ष 2011-12 में मार्ग/सेतु कार्य हेतु ₹ 615.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

शासनादेश सं0 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.08 के पैरा-4 के अनुसार ₹ 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर से जारी करने के निदेश के तहत दिनांक 22.07.11 को जिला नियोजन समिति द्वारा ₹ 571.24 लाख (पांच करोड़ इकत्तर लाख चौबीस हजार) मात्र के लिये संलग्न सूची के अनुसार 45 मार्ग/पुल-पुलिया कार्यों का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित 45 कार्यों हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा ₹ 571.24 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जाती है।

यह स्वीकृतियां शासनादेश संख्या 303/एस0पी0डब्लू0डी0/2001 दि0 15.12.2001 व शासनादेश सं0 56/।।(2)/05-47(बजट)/2005 दि0 17.01.2006 के क्रम में जारी की जाती है।

कार्य पर धनराशि व्यय करने से पूर्व, कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में व अन्त में फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फाईल का भाग बनायेंगें तथा निरीक्षण/जांच के समय समस्त अभिलेखों से प्रस्तुत करेंगें।

निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके, साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा आदेश संख्या 475/XXXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक उनके ब्यौरेबार विस्तृत आगणन एवं नक्शे आदि तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय एवं उन कार्यों पर कोई वित्तीय वायदा न किया जाय, जिन कार्यों के लिये तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो। उनकी [illegible] कार्यों की तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात कार्य पर व्यय किया जाय। यदि जिन कार्यों को तकनीकी परीक्षण [illegible] हुआ हो, तो उस कार्य पर कदापि व्यय नहीं किया जाय।

उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत कार्यों पर ही किये जायं, अन्य योजनाओं पर उनका उपयोग न किया जाय तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 22 लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91 जिला योजना 00-24 बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार 45 कार्यों की सूची।

छायाप्रति प्रमाणित
AE
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर

जिला अधिकारी,
चमोली

2

दिनांक : गोपेश्वर 2011

संख्या :- 1145 /जि0यो0-3/2011-12

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य ईकाई, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0, पौड़ी।
10. निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
13. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर/कर्णप्रयाग/गोचर/थराली।
14. अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोपेश्वर।

संलग्न :- 45 कार्यों की सूची।

जिला अधिकारी,
चमोली

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

(5)

जिला योजना वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत कार्यों का विवरण

विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लंबाई (किमी./मी.) में	अनुमानित लागत (लाख ₹ में)
3	5	6	7
खण्ड :– अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर :–			
	नव निर्माण के कार्यः– प्रथम चरण		
	हापला–गुडग–नैल मोटर मार्ग के किमी0 1 में मसोली गॉव तक लिंक मार्ग	0.25 + 18 mtr	6.00
कर्णप्रयाग	जयकण्डी–मैखुरा के किमी0 0.00 से सेरागाड तक सम्पर्क मार्ग	0.30+12 mtr	6.00
कर्णप्रयाग	सिंगी से सैंज तक मोटर मार्ग	1.00	12.60
कर्णप्रयाग	जयकण्डी से सिरतोली मोटर मार्ग	1.50	19.00
	पुलिया निर्माणः–		
पोखरी	पोखरी–विशालखाल के किमी0 6 में 6 मी0 स्पान की पुलिया	6 mtr	12.00
पोखरी	सेमीगाढ़ में प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ के रास्ते में गडीगाढ एवं बगडोरा पर पुलिया का अवशेष कार्य	6 mtr	5.00
	पुनः निर्माणः–		
कर्णप्रयाग	धारडुंग्री–मैखुरा के किमी0 0.50 से 1.00 तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	0.50	6.00
पोखरी	पोखरी–विशालखाल मोटर मार्ग के किमी0 11.50 से 16.00 तक दीवार निर्माण कार्य	L.S.	8.00
पोखरी	पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग के ग्राम सलना में काश्तकारों की भूमि का मुआवजा	L.S.	1.50
गैरसैण	आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग किमी0 6 एवं 7 नगली बाजार में पक्की नाली का निर्माण एवं अन्य कार्य	300 mtr	5.00

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

16